न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2019

प्रार्थीगण

1. गैरीदेवी पत्नि छगनाजी
2. पुष्पादेवी पत्नि कालूराम जातियान मेघवाल निवासीयान रोडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

अप्रार्थीगण

1. धुखाराम वल्द लाला जाति भील निवासी रोडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर
2. कोकिलाबेन पत्नि बलदेवभाई जाति लुहार निवासी जालमपुरा अहमदाबाद
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जानू मेगवाल व अमृत कटारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 28.01.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा रोडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 1.16 है. खसरा नम्बर 171 रकबा 0.22 है. खसरा नम्बर 176 रकबा 0.34 है. खसरा नम्बर 177 रकबा 0.05 है. जुमले रकबा 1.77 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 166 के पश्चिम दिशा में व प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 171, 176 के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.29 है. आई हुई है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 177 के उतर दिशा में व प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 176, 171 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.09 है. खसरा नम्बर 174 रकबा 0.14 है. खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 है. जुमल रकबा 0.27 है. आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है।
2. उपरोक्त प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 1.16,खसरा नम्बर 171 रकबा 0.22 है.,खसरा नबंर 176 रकबा 0.34 है. खसरा नबंर 177 रकबा 0.05 हैक्टर जुमले रकबा 1.77 हैक्टर पर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 172 रकबा 0.29 हैक्टर पर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:17 IST
Reason: SelfAttested

173 रकबा 0.09 है. खसरा नबंर 174 रकबा 0.14 हैक्टर , खसरा नबंर 175 रकबा 0.04 है. जुमले रकबा 0.27 है. के सीमाज्ञान को लेकर विवाद है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी को हड़पक रने की मंशा के चलते अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी की माठ को भी खुर्द–बुर्द कर प्रार्थीगण की आराजी को हड़प करना चाहते हैं तथा आराजी का सीमा विवाद करने के लिए उतारू रहते है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदार रानीवाडा पैमाईश का आदेश करवाया। तहसीलदारजी रानीवाडा के आदेश कमांक/एल. आर/ 56 दिनांक 5.6.2017 की पालना में हल्का पटवारी सुरजवाडा दिनांक 03.07.2017 को मौके पर पैमाईश करने गये परन्तु अप्रार्थीगण ने पैमाईश नहीं करने दिया तथा न ही स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर अथवा बाड़ नहीं करने दी थी। हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 03.07.2017 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपनी आदतो से बाज नहीं आकर प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थीगण की आराजी के बीच मौके पर माठ पर लौर को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा माठ को विवादग्रस्त बना दिया है तथा माठ की सीमा का स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नबंर 166, 171, 176, 177 व अप्राथी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 172 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 173, 174, 175 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान को सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 172 रकबा 0.29 है. व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 173 रकबा 0.09 है. खसरा नबंर 174 रकबा 0.14 है. खसरा नबंर 175 रकबा 0.04 है. जुमले रकबा 0.27 है. की पैमाईश करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर पड्ढी करने हेतु कमेटी गठित कर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाने हेतु तहसीलदारजी रानीवाड़ा पर न्याय हित में आदेश फरमावे।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया।
4. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रोडा पटवार मण्डल सूरजवाडा के जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 28 खसरा नम्बर 166, 171, 176, 177 रकबा कमश 1.16, 0.22, 0.34, 0.05 कूल रकबा 1.77 हैक्टेयर गैरीदेवी पत्नि छगनाजी हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल व पुष्पादेवी पत्नी कालूराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने सीमा विवाद बताया है। यह स्वीकार है कि तहसील हाजा के आदेश कमांक/एल.आर/56 दिनांक 05.06.2017 की पालना में पटवारी हल्का सूरजवाडा द्वारा दिनांक 03.07.2017 को सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें खसरा नम्बर 171 का पूर्ण रकबा व 166 व 176 का आंशिक भाग पड़ौसी खातेदार धुखा पुत्र लाला कौम भील सा0 सूरजवाडा के कब्जे में है। व मौ[illegible] के खसरा नम्बर 172 रकबा 0.29 हैक्टेयर चालू जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 172 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:17 IST
Reason: SelfAttested

0.29 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज यह स्वीकार है कि खसरा नम्बर 172 प्रार्थीगण की खातेदारी से लगता हुआ है।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 3 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.07.2017 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में भी सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 166, 171, 176 व 172 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रोडा पटवारी मण्डल सूरजवाडा के खसरा नम्बर 166, 171 176, 177 रकबा क्रमश 1.16, 0.22, 0.34, 0.05 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:17 IST
Reason: SelfAttested